40

संख्या-287/VI-2/2015–22(12)/2013

प्रेषक,

पी0एस0जंगपांगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग देहरादून दिनांक :28 मार्च,2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–503/2013 ''बाजपुर में 01 स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा'' की पूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1277/बाज.स्टे.निर्मा.पत्रा./2012–13/दे.दून, दिनांक 02 मार्च, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2013 को जनपद उधमसिंहनगर में की गयी घोषणा संख्या–503/2013 ''बाजपुर में एक स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा'' की पूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में (अनुदान संख्या–03) के अंतर्गत धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 संख्याः S1503030723, दिनांकः 27 मार्च, 2015 के अनुसार निम्न प्रतिवेदन शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2 आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेग और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा एवं प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3 स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

4 स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 व शासनादेश संख्याः 983/XXVII(1)/2014 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 में इंगित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन तथा बजट मैनुअल एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

2/–

5 स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6 व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7 उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–800–अन्य व्यय–02–मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान–24 वृहद् निर्माण कार्य" मद में सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

8 यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के अशा0 सं0–167(P)/XXVI(5)/2014 दिनांक 25 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–अलाटमेंट आई.डी. संख्या–S1503030723, दिनांकः 27 मार्च, 2015

भवदीय,

(पी0 एस0 जंगपांगी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 287 /VI-2/2015–29(11)/2013

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. अपर सचिव, मुख्यमंत्री (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ट कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

Letter section/